मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–12–7–/07/25/2 भोपाल दिनांक 09.10.2007

प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास,
भोपाल

विषयः– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावास/आश्रमों में "छात्रावास दिवस योजना"।

राज्य शासन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रावास/आश्रमों में "छात्रावास दिवस योजना" की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता है।

योजना का नामः– **"छात्रावास दिवस योजना"**

योजना प्रारंभ का वर्षः– **2007–08**

योजना का कार्यक्षेत्रः– **सम्पूर्ण प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित समस्त छात्रावास/आश्रम**

योजना के उद्देश्यः–

1. छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों की बहुमुखी प्रतिभा की पहचान।
2. छात्र/छात्राओं में आपसी सद्भाव तथा मेल–मिलाप बढ़ाना।
3. छात्रावास/आश्रम संचालन में पालकों एवं अभिभावकों की सहभागिता एवं सुझाव प्राप्त करना।
4. छात्रावास/आश्रम की कार्यप्रणाली एंव गतिविधियों से पालकों/अभिभावकों को अवगत कराना।
5. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना।
6. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कल्याण की विभिन्न योजनाओं से पालकों को अवगत कराना।

क्रियान्वयनः–

प्रतिवर्ष 1 नवम्बर (मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस) को छात्रावास/आश्रमों में निवास करने वाले छात्र/छात्राओं के पालकों/अभिभावकों को अधीक्षक द्वारा विधिवत आमंत्रित किया जायेगा। आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधि यथा क्षेत्रीय विधायक, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका/नगर पंचायत के अध्यक्ष अथवा सरपंच आदि को भी आमंत्रित किया जावे।

आमंत्रित अतिथियों/पालकों/अभिभावकों के समक्ष निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगाः–

1. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।
2. छात्रावास/आश्रम का वार्षिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण।
3. आगामी वर्ष की कार्य–योजना का प्रस्तुतीकरण।
4. पुरस्कार वितरण।

विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र–छात्राओं के अतिरिक्त छात्रावास/आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ अनुशासित आचरण एवं सर्वाधिक उपस्थिति वाले प्रथम तीन छात्र–छात्रा को पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार का निर्धारण उपलब्ध प्रावधान से अधीक्षक/छात्र–छात्राओं की समिति द्वारा किया जावेगा।

5. सामुहिक विशेष भोज का आयोजन।

वित्तीय मापदण्डः–

कार्यक्रम के आयोजन हेतु छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों की संख्या अनुसार रूपये 50/– (रूपये पचास प्रति छात्र–छात्रा) के मान से राशि छात्रावास/आश्रम अधीक्षक/अधीक्षिका को उपलब्ध कराई जायेगी।

योजना का पर्यवेक्षणः–

छात्रावास दिवस का आयोजन प्रदेश में संचालित सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावास/आश्रमों में 1 नवम्बर को प्रतिवर्ष किया जावेगा, अतः कलेक्टर जिले में कार्यरत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, विभागीय जिलाधिकारियों, सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/परियोजना

प्रशासक/सहायक परियोजना प्रशासक/विकास खंड शिक्षा अधिकारी/क्षेत्र संयोजक/मंडल संयोजकों/स्थानीय प्राचार्य/प्रधानाध्यापक में से किसी एक को किसी एक छात्रावास में इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिये नामांकित करेंगे एवं वे स्वयं भी कम से कम किसी एक संस्था के आयोजन में भाग लेंगे।

वित्तीय व्यवस्थाः–

योजनान्तर्गत होने वाला व्यय अनुसूचित जाति विकास के लिए "मांग संख्या–15 मुख्यशीर्ष– 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, (01)–अनुसूचित जातियों का कल्याण (277) शिक्षा–0103– अनुसूचित जाति उपयोजना, (4717) अनुसूचित जाति छात्रावास–42–सहायक अनुदान–009–पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान"

तथा

आदिवासी विकास के लिए व्यय "मांग संख्या–41–2225– पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो का कल्याण–02– अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–0102– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–राज्य आयोजना–277–शिक्षा–1398– छात्रावास– 42– सहायक अनुदान–007– अन्य" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–2–2/2002/नियम/चार दिनांक 30.09.2002 में पृष्ठांकन के लिए दिए गए अधिकार तथा स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.05.2007 तथा दिनांक 10.08.2007 में दिए गए अनुमोदन अनुसार जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(जे.के. मोहन्ती)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

पृष्ठा. क्रं.एफ–12–7– / 07 / 25 / 2 भोपाल दिनांक 09.10.2007

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल की ओर 'अनुसूचित जाति पंचायत' तथा आदिवासी पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री / राज्य मंत्री, आदिम जाति कल्याण / अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसम्पर्क, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
8. समस्त कलेक्टर्स, म.प्र.।
9. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, म.प्र. भोपाल।
10. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल।
11. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र.।
12. समस्त सहायक आयुक्त / जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9/10/07

(जे.के. मोहन्ती)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग